रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-127 | REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 1988/भाद्रपद 31, 1910
No. 191] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 1988/BHADRA 31, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

सरकारी उद्यम विभाग

(सरकारी उद्यम कार्यालय)

नई दिल्ली 19 सितम्बर 1988

संकल्प

संख्या 1(2)/88-स उ.का. (मजूरी कक्ष).—सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों, जो इस समय औद्योगिक महंगाई भत्ता सूत्र द्वारा शासित हैं, को महंगाई भत्ते का भुगतान करने के लिये सूत्र की समीक्षा करने के लिये एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की है जिसमें भारत सरकार, केन्द्रीय मजदूर संगठनों तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

1. श्रम मंत्री	अध्यक्ष
2. सचिव व्यय विभाग	सरकार के प्रतिनिधि
3. सचिव श्रम विभाग	
4. सचिव सरकारी उद्यम विभाग	
5. सचिव कोयला विभाग	
6. सचिव इस्पात विभाग	
7. सचिव खान विभाग	
8. सचिव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
9. श्री जी.एल. टण्डन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक कोल इंडिया लि.	सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि
10. श्री एच.सी. गांधी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक भारत यंत्र निगम लि.	
11. श्री एस. एम. जैन प्रबन्ध निदेशक नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	
12. श्री एम. आर. आर. नायर निदेशक (कार्मिक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	
13. श्री ए. माधव राव निदेशक (कार्मिक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. भारतीय तेल निगम लि.	
14. विमल कपूर, निदेशक (कार्मिक) भारतीय तेल निगम लि.	
15. श्री एन पी मंजूनाथ, निदेशक (कार्मिक), भारत अर्थ मूवर्स लि.	
16. श्री राजेन्द्र सिंह, निदेशक (कार्मिक), नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.	

17.	श्रम मंत्रालय द्वारा नामित किये जाने वाले मजदूर संघों के केन्द्रीय संगठनों के प्रतिनिधि
18.	
19.	
20	
21.	
22.	
23.	
24.	

2. त्रिपक्षीय समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे--

(1) औद्योगिक महंगाई भत्ता सूत्र के अन्तर्गत शासित सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों पर लागू वर्तमान महंगाई भत्ता सूत्र की समीक्षा करना तथा ऐसे कर्मचारियों के लिए वर्तमान सूत्र के बदले उपयुक्त महंगाई भत्ता सूत्र की सिफारिश करना।

(2) ऐसे महंगाई भत्ता सूत्र की सिफारिश करने में यह ध्यान रखना है कि सरकारी क्षेत्र, चाहे वह केन्द्रीय हो अथवा राज्य सरकार का हो, के संसाधन स्थिति पर, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों पर, अन्य महंगाई भत्ता सूत्र द्वारा शासित उपक्रमों अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठानों, चाहे वे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र अथवा संगठित गैर सरकारी क्षेत्र के हों, के कर्मचारियों पर; असंगठित औद्योगिक कामगारों पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कामगारों पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है।

(3) प्रशासनिक सुविधा तथा अभिलेख रखने संबंधी सरलीकरण को देखते हुए क्या महंगाई भत्ता परिशोधन की आवृत्ति की जांच जो इस समय तिमाही आधार पर की जाती है, को बदला जाना चाहिए।

3. समिति अपनी स्थापना से छः महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

4. सरकारी उद्यम कार्यालय में सलाहकार (वित्त) अपने मौजूदा कार्यों के अतिरिक्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। संयुक्त सलाहकार (मजूरी) समिति की सभी बैठकों में उपस्थित रहेंगे।

जी. एन. मेहरा, सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

Department of Public Enterprises

(Bureau of Public Enterprises)

New Delhi, the 19th Sept. 1988

RESOLUTION

No. 1(2)/88-BPE (WC).—Government is pleased to appoint a Tripartite Committee consisting of representatives of Government of India, Central Trade Union Organisations and the Public Sector Enterprises to review the formula for payment of Dearness Allowance to the employees of the Central Public Sector Enterprises at present governed by the Industrial Dearness Allowance formula. The composition of the Committee will be as follows:-

1.	Minister of Labour	Chairman
2.	Secretary, Deptt. of Expenditure	Representatives of Government.
3.	Secretary, Deptt. of Labour	
4.	Secretary, Deptt. of Public Enterprises	
5.	Secretary, Deptt. of Coal	
6.	Secretary, Deptt. of Steel	
7.	Secretary, Deptt. of Mines	
8.	Secretary, Ministry of Petroleum & Natural Gas	
9.	Shri G.L. Tandon, Chairman & Mg. Director, Coal India Ltd.	Representatives of Public Sector.
10.	Shri H.C. Gandhi, Chairman & Mg. Director, Bharat Yantra Nigam Ltd.	
11.	Shri S.N. Jain, Mg. Director, National Fertilizers Ltd.	
12.	Shri M.R.R. Nair, Director (Personnel), Steel Authority of India Ltd.	
13.	Shri A. Madhava Rao, Director (Personnel.) Bharat Heavy Electricals Ltd.,	
14.	Shri Bimal Kapoor, Director (Personnel), Indian Oil Corpn. Ltd.	
15.	Shri N.P. Manjunatha, Director (Personnel), Bharat Earth Movers Ltd.	
16.	Shri Rajendra Singh, Director (Personnel), National Thermal Power Corpn. Ltd.	
17.		Representatives of Central Organisations of Trade Unions to be nominated by the Ministry of Labour.
18.		
19.		
20.		
21.		
32.		
23.		
24.		

The terms of reference of the Tripartite Committee would be as follows:—

(i) To review the extant DA formula applicable to the employees in public sector enterprises governed under the industrial DA formula, and to recommend a suitable DA formula for such employees in replacement of the present formula;

(ii) in recommending such a DA formula to keep in view the repercussions on the resource position of the public sector, whether of the Central or of the State Governments; on employees of the Central and State Governments; on employees of undertakings or industrial establishments governed by other DA formulae whether in the public sector of the Central or State Governments or of the organised private sector; on unorganised industrial workers, and on agricultural workers in rural areas;

(iii) to examine whether the frequency of revision of DA, which is at present done quarterly, should be altered, keeping in view administrative convenience and simplification of record keeping.

3. The Committee will submit its report within six months of its setting up.

4. Adviser (Finance), in the Bureau of Public Enterprises will act as Secretary to the Committee in addition to his current duties. Joint Adviser (Wages) will be in attendance at all meetings of the Committee.

G. N. MEHRA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988